(rr/1520/lal-ks)

1520 बजे

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर इस सदन में मै अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका विरोध नही है, लेकिन हमारा आरोप यह है कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। इसमे बहुत कमियां है, बहुत सी बातें छूट गई हैं। यदि अंग्रेजी में "हाफ हार्टेड अप्रोच" कहे तो गलत नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज समाज और देश के विकास के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों की जरूरत पड़ती है, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशंस बने हैं उनकी जरूरत होती है, सीमेंट, कंक्रीट व डामर की सड़कें बनी हैं, बड़े-बड़े उद्योग बनेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। यह जो भी विकास हुआ है उसके पीछे यदि महत्वपूर्ण घटक है तो वह है कंस्ट्रक्शन और इसमे काम करने वाले मजदूर। हमारे राष्ट्र की जो प्रगति हुई है उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भुलाया नही जा सकता।

हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होने इस देश को स्वतंत्र कराया था, उनका एक सपना था कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, उसमें कोई गरीब न हो, सभी खुशहाल हो। लेकिन इतने वर्षो में क्या हुआ? जो गरीब है वे गरीब बनते गए और जो पैसे वाले है वे और पैसे वाले बनते गए। हमारे देश के जो 100 सर्वोच्च उद्योगपति है उनकी यदि आप लिस्ट बनाएं और देखें कि 1947 मे उनकी पूंजी कितनी थी और आज उनकी पूंजी कितनी हो गई है। आप हिसाब लगा ले, उन औद्योगिक घरानों की पूंजी एक हजार गुना बढ़ गई है। समाजवाद कहां गया? समाजवाद की धज्जियां उड़ गई और उसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। हमने गरीब की बातें की है, गरीब के विषय में इस सदन मे खूब चर्चा हुई है और इस सदन के बाहर भी गरीब को न्याय दिलाने की बहुत बातें हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश मे गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। हम आत्मपरीक्षण करें कि उसके लिए कौन दोषी है। मै कहूंगा कि उसके लिए दोषी हम ही है।

यह जो बिल सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुआ इसमें माननीय मंत्री महोदय ने गलत ही समझा है। हमारे साथी भार्गव जी ने विरोध के नाम पर विरोध नहीं किया है। उन्होने बहुत सुझाव दिए हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं। यदि वे खामियां दूर करके उसको लाएं तो गरीब मजदूर का भला होगा। उस भले के साथ मे हम भी कुछ मदद

करेंगे, हम समर्थन करेंगे, अभिनन्दन करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में यह बिल 'एज इट इज' स्वागत योग्य नहीं है, इसलिए हम इसका अभिनन्दन नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी खामियां हैं। जब आप एक घटक मजदूर की हालत सुधारने की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो सारे मजदूर हैं उन सभी की हालत सुधारने की बात करनी चाहिए। जहां तक संख्या का सवाल है, जो भी यूनिट एस्टेबलिश होगी उसमें 50 आदमी काम करेंगे तभी वह यूनिट इस कानून के तहत आएगी। यदि मैं 49 आदमियों से काम चलाता हूं तो मैं कानून से बच जाता हूं। यदि मेरे पास 49 आदमी काम करते हैं तो उनको इस बिल के माध्यम से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि आप इस 50 की संख्या को घटाकर 10 कर दीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप 10 मजदूर कर देते हैं तो आपको मॉनिटरिंग करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपने 50 का आंकड़ा दिया है। आप इस आंकड़े को घटाइए।

(ss/1525/rpm/rs)

महोदय, जहां पर 10 मजदूर भी एम्पलाय होते हैं वहां भी यह कानून लागू होना चाहिए। इस कानून को 50 पर ही लागू करना उचित नहीं है। जहां 10 मजदूर काम करते हैं, उसको भी इस कानून में लाइए। तभी आप मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकते हैं।

महोदय, आपने कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी है और कोई टाइम-फ्रेम नहीं बनाया है कि तीन महीने के अंदर-अंदर या किसी निश्चित समय के अंदर आपको इसके बारे में कानून बनाना पड़ेगा। इस तरह की इसमें कोई भाषा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर इस संबंध में सभी सरकारें कानून बनाएं, इस बारे में आपने कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। बिहार में तो राम-राज्य चल रहा है, अर्थात् वहां पर कोई कानून ही नहीं है। राज्य सरकारों के लिए भी एक समय-सीमा निश्चित हो जाती, तो अच्छा रहता।

सभापति महोदय, अभी क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स के कायदे अलग-अलग हैं। कोई अपनी मरजी से आता है दो प्रतिशत लेता है, कोई 10 प्रतिशत लेता है और कोई राज्य लेता ही नहीं है। किसी ने फ्री कर दिया है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मत बचिए। फूल-प्रूफ रूल बनाकर आप सरकारों को दीजिए कि ये माडल रूल हैं और यह आपके ऊपर आब्लीगेटरी नहीं, मैंडेटरी है। इस संबंध में आप भी इन माडल नियमों के अनुसार नियम बनाएं। इस बारे में नियम होने चाहिए, स्टीपुलेटेड टाइम

होना चाहिए, चूंकि यह आपने नहीं किया है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

सभापति महोदय, इसमें डैफिनेशन बना दी कि एस्टाब्लिशमेंट की बजाय कांट्रेक्टर जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि आप दोनों को जिम्मेदार बनाइए। अकेले कांट्रेक्टर को जिम्मेदार नहीं बनाएं। कांट्रेक्टर और एस्टाब्लिशमेंट, दोनों की जिम्मेदारी हो, तब जाकर मजदूरों का फायदा होगा। एम्प्लायर और कांट्रेक्टर, दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, खाली कांट्रेक्टर कि जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए।

आपने इसमें यह भी रखा है कि जो मकान अपने खुद के रहने के लिए बना रहा होगा, उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होंगे या वह इस नियम के परव्यू में नहीं आएगा। आपको तो मालूम है कि गांवों में लाख, डेढ़ लाख में मकान बनाते हैं, पांच-सात मजदूर लोग मिलकर 8-10 महीने में मकान बना पाते हैं, ऐसा मकान तो इसके परव्यू से बाहर रखा जाए, तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि करोड़ों की लागत से मकान बनते हैं और सालों तक सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे रहते हैं। अब तो एक न्यू रिचमेन का नया वर्ग आ गया है। आपने कानून में जो यह प्रावधान किया है, उसका सहारा लेकर ठेकेदार कह सकता है कि यह मकान तो मैं अपने रहने के लिए बना रहा हूं। आप तो महोदय जानते हैं कि पांच-पांच और दस-दस करोड़ रुपया लगाकर लोग अपने मकान बनाते हैं और 100-200 मजदूर महीनों तक का करते रहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए भी कुछ धन की सीमा निश्चित कीजिए कि यदि 10 लाख रुपए से ऊपर मकान बनेगा, तो उस पर यह नियम लागू होगा। 10 लाख रुपए की लागत का मकान इस कानून के परव्यू में आएगा, इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। इसलिए महोदय, मेरा बार-बार कहना यह है कि इसमें बहुत लूपहोल है।

सभापति महोदय, इसमें कंपेन्सेशन की बात भी स्पष्ट नहीं है। यदि कोई मजदूर काम पर मर जाए, तो उसका कंपेन्सेशन आब्लीगेटरी है। मेरा कहना है कि यह कंपन्सेशन देने की बात ठेकेदार पर नहीं छोड़नी चाहिए। यह जो आप वैलफेयर बोर्ड बना रहे हैं, यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह तुरन्त पेमेंट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजदूर मर गया, उसके घर वाले बरसों तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहे और उनको कोई राहत नहीं मिले। ऐसा होना चाहिए कि मजदूर यदि मर जाए, तो उसके परिवार वालों को एक सप्ताह के अंदर पैसा मिल जाए, ऐसा कानून बनाइए। जो एक्सप्लायटर हैं, जो मजदूरों का शोषण करते हैं, हम उनके ऊपर इस कंपेन्सेशन की बात को कैसे छोड़ सकते हैं। उनके ऊपर हम इसको नहीं छोड़ सकते।

सभापति महोदय, अब आपने मजदूरों को वैलफेयर के लिए कानून बना दिया कि जहां मजदूर रहते हैं, वहां उनको मकान बनाकर देना होगा।

(tt/1530/rjs-lh)

यह कानून है। मकान कैसे देना होगा? मकान तो चार फट्टे का बन रहा है, जिसमें धूप, आंधी, गरमी और पानी से कोई बचाव नहीं है। इसकी डेफीनेशन कहां है? 40-50 हजार रुपये में अच्छा पोर्टेबल मकान भी आ सकता है। कौन्ट्रैक्टर्स अच्छा मकान बनाये। लैट्रिन्स वगैरह की क्या स्पेसीफिकेशन है? नहाने-धोने की जगह की क्या स्पेसीफिकेशन है? इसकी स्पेसीफिकेशन होना चाहिए। मैं यहां पर यह आग्रह करूंगा कि कम से कम लागत का सस्ता मकान हो और उससे नीचे के स्तर का मकान गरीबों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे एक मकान का मॉडल बनाइए नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। हम जबरदस्ती की टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ चार बांस और चार फट्टे लगाकर मकान बना दें जिसकी न आंधी से रक्षा होती है और न धूप से रक्षा होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि कौन्ट्रैक्टर्स हजारों की संख्या में मकान बना देते हैं। वे लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। आपको यहां पर एक मकान के मॉडल का स्पैसीफिकेशन देना चाहिए था कि कम से कम इतने बाई इतने का पक्का मकान होगा जिसमें शीट्स वगैरह रहेगी, जिससे गरमी, पानी, धूप और आंधी से रक्षा हो सकेगी। इस तरह का मकान साईट पर बनना चाहिए। ये सब बातें इस बिल में आना बहुत जरूरी है।

जहां तक सेफ्टी का सवाल है, बहुत बड़े-बड़े टावर्स खड़े होते हैं। आजकल तो 20-20 मंजिले मकान होते हैं। डर लगता है कि कहीं हाथ न छूट जाये, आंधी के धक्के में कोई आदमी नीचे न गिर जाये। इसके लिए सेफ्टी नेट का प्रोविजन होना चाहिए। जैसे हम सर्कस में देखते है, ऊपर से जो आदमी गिरता है, वह नेट पर गिरता है लेकिन मरता नहीं है। जो ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें सेफ्टी नेट कम्पलसरी होना चाहिए ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड कीजिये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के चार और सदस्य बोलने वाले है। ... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सिर्फ दो पाईंट बताकर कन्क्लयूड करता हूं। ... (व्यवधान) अब फंड शेष करेंगे एक प्रतिशत, दो प्रतिशत जो भी कम्पलसरी होगा, करेंगे। उसके वैल्यूएशन का स्वरूप क्या है? वह भी बताना चाहिए ताकि उसके वैल्यूएशन में गड़बड़ न हो। हमारा पूरा रिजर्वेशन है।

मजदूरों के नाम पर मजदूरों के लिए पैसा वसूल किया जा रहा है। जब मजदूरों के लिए पैसा वसूल किया जा रहा है तो इसे कनसौलीडेटेड फंड मे डाल देंगे। अपने पचास हजार करोड़ रुपये 60-70 हजार करोड़ रुपये में मिला दें, यह ठीक नहीं है। यह मजदूरों का फंड है, इसे बिल्कुल अलग रखिये। विनियोजन भी अलग होना चाहिए। आप इसे कन्सौलीडेटेड फंड में मिला दें, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारा पुरजोर विरोध है। आप हमारी बात मानिये। हमने गरीबों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया है, वह दूसरी जगह चला जाता है। वह मजदूरों के वैल्फेयर में काम नहीं आता। यह हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। यह हमारी मांग है और आग्रह है कि इस पूरे पैसे का अलग फंड बनाकर इसे अलग रखिये। इसका अलग हिसाब हो, अलग विनियोजन हो। आप हमें आश्वस्त करें कि आप कैसे करेंगे तभी हम इसका स्वागत करेंगे।

(इति)